

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियुक्ति/अलेसे-III/ 5633

जयपुर दिनांक :- 19/3/2025

शुद्धि-पत्र

1. विभागीय आदेश 209 दिनांक 11.01.2025 के क्रम सं. 96 में अंकित "SUMAN DEVI" के स्थान पर "SUMAN SWAMI" पढ़ा जावे।
2. विभागीय आदेश 238 दिनांक 11.01.2025 के क्रम सं. 96 में अंकित "SHABNAM BANO D/O ISLAMUDDIN KHAN" के स्थान पर "SHABNAM BANO D/O ISLAMUDDIN " पढ़ा जावे।
3. विभागीय आदेश 248 दिनांक 22.01.2025 के क्रम सं. 03 में अंकित "SHIPRA CHABRA D/O MAHENDRA CHABRA" के स्थान पर "SHIPRA CHHABRA D/O MAHENDRA CHHABRA" पढ़ा जावे।

(सौमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियुक्ति/अलेसे-III/ 5633

जयपुर दिनांक :- 19/3/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कोषाधिकारी.....
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित/निजी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)